



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1973]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936

No. 1973]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

का.आ. 2497(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कालम (2) में – तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के कालम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
15	बीकानेर – फालोदी खंड (राजस्थान राज्य में)	किमी 4.200 से किमी 163.500

[फा.सं. एनएच-14013/17/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2014

S.O. 2497 (E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of National Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
15	Bikaner-Phalodi section (in the State of Rajasthan)	From Km. 4.200 to Km. 163.500

[File No. NH-14013/17/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

का.आ. 2498(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिसूचना के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 21 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“21.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 [किमी 364.000 से किमी 396.000 (किशनगढ़ से अजमेर खंड), किमी 0.00 से किमी 59.00 और किमी 263.500 से किमी 388.000 (अजमेर – उदयपुर खंड) और किमी 177.000 से किमी 260.100 (गोमती का चौराहा – उदयपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 11 [किमी 42.525 से किमी 228.000 (उ. प्र./राजस्थान सीमा – भरतपुर – महुआ – जयपुर) और किमी 246.200 से किमी 298.075 (जयपुर – रींगस) तक खंड को छोड़कर], सं. 11ए, सं. 11बी [किमी 0.00 से किमी 186.000 (लालसोत – करौली – बारी - धौलपुर) तक खंड को छोड़कर], रारा 11सी, रारा 12 [किमी 18.700 से किमी 165.000 से रारा-76 का कोटा बाइपास जंक्शन तक (जयपुर – टोंक – देवली - कोटा),	राजस्थान राज्य सरकार” ।
------	--	-------------------------

किमी 256.550 से किमी 289.560 (कोटा से दाराह) और किमी 346.540 से किमी 412.000 (झालावाड़ – राजस्थान/म. प्र. सीमा) तक खंड को छोड़कर], रा. 14 [किमी 0.000 से किमी 244.000 (ब्यावर - पाली – पिंडवाड़ा) और किमी 246.800 से किमी 306.000 (पिंडवाड़ा – राजस्थान/गुजरात सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 15, [किमी 0.000 से किमी 153.034 (जैसलमेर-बाड़मेर खंड), किमी 163.4000 से किमी 323.857 (फालोदी – जैसलमेर खंड) और किमी 4.200 से किमी 163.500 (बीकानेर – फालोदी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 65 [किमी 0.000 से किमी 154.141 (हरियाणा/राजस्थान सीमा से सालासर) तक खंड को छोड़कर], सं. 71बी, सं. 79 (नसीराबाद से चित्तौड़गढ़ तक खंड को छोड़कर), सं. 89, सं. 90, सं. 112, [किमी 140.000 से किमी 225.615 (जोधपुर – पचपादरा खंड) और किमी 254.800 से किमी 328.900 (बागुंडी – बाड़मेर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 113 [किमी 80.00 से किमी 267.000 (प्रतापगढ़ – पादी – दाहोद) तक खंड को छोड़कर], सं. 114 [किमी 11.000 से किमी 176.040 (जोधपुर –पोखरन खंड) तक छोड़कर], सं.116, नई रा. सं.11, नई रा. सं.54, नई रा. सं.58 विस्तार (पुरानी रा. सं.76ए), नई रा. सं.158, नई रा. सं.162ए, नई रा. सं.162 विस्तार, नई रा. सं.248ए, नई रा. सं.325, नई रा. सं.709 विस्तार और नई रा. सं.927ए के उतने भाग राजस्थान राज्य में अवस्थित हैं।	
---	--

[फा.सं. एनएच-14013/17/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-2066 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the, 23rd September, 2014

S.O. 2498 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“21	So much of National Highway No.8 [excluding from km. 364.000 to km. 396.000 (Kishangarh to Ajmer section), from Km. 0.00 to km. 59.00 and from km. 263.500 to km. 388.000 (Ajmer – Udaipur section) and from km. 177.000 to km. 260.100 (Gomti ka Chauraha – Udaipur section)], No.11 [excluding from Km.42.525 to Km. 228.000 (UP/Rajasthan Border-Bharatpur-Mahua-Jaipur) and from km.246.200 to km.298.075 (Jaipur-Reengus)], No.11A, No.11B [excluding from km 0.00 to km. 186.000 (Lalsot-Karauli-Bari- Dholpur)], No.11C, No.12 [excluding from	State Government of Rajasthan.”

	km.18.700 to km.165.000 to Junction of Kota bypass on NH 76 (Jaipur-Tonk-Deoli-Kota) and from km. 346.540 to km. 412.000 (Jhalawar-Rajasthan/Madhya Pradesh border)], No.14 [excluding from km.0.000 to km.244.000 (Beawar-Pali-Pindwara) and from Km.246.800 to Km.306.000 (Pindwara - Rajasthan/Gujarat Border section)], No.15 [excluding from km. 0.000 to km. 153.034 (Jaisalmer-Barmer section), from km. 163.400 to km. 323.857 (Phalodi-Jaisalmer section) and from km. 4.200 to km. 163.500 (Bikaner-Phalodi section)], No.65 [excluding from Km.0.000 to Km. 154.141 (Haryana/Rajasthan Border to Salasar)], No. 71 B, No.79 (excluding from section Nasirabad to Chittorgarh), No.89, No.90, No.112 [excluding from km. 140.000 to km. 225.615 (Jodhpur-Pachpadra section) and from km. 254.800 to km. 328.900 (Bagundi-Barmer section)], No.113 [excluding from km.80.00 to km.267.000 (Pratapgarh-Padi-Dahod)], No. 114 [excluding from km. 11.000 to km. 176.040 (Jodhpur-Pokaran section)], No. 116, new NH No. 11, new NH No. 54, new NH No. 58 Extn (old NH No. 76A), new NH No. 158, new NH No. 162A, new NH No. 162 Extn, new NH No. 248A, new NH No. 325, new NH No. 709 Extn and new NH No. 927A as are situated within the State of Rajasthan.	
--	---	--

[File. No. NH-14013/17/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2066 (E), dated the 14th August, 2014.